

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जनवरी 2022—पौष 22, शक 1943

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. एफ 2-2-2011-सात-5.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959), की धारा 24 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, समस्त अधीक्षक, भू-अभिलेख तथा सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिन्होंने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, उक्त संहिता के अधीन तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्रदत्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. एफ. 2-2-2011-सात-शा.-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 2-2-2011-सात-शा. 5, दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव,

Bhopal, the 12th January 2022

No. F 2-2-2011-VII-Sec. 5.—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, confers all the powers of Tahsildar under the said code, on all Superintendent, Land Records or Assistant Superintendent, Land Records, who are passed the prescribed departmental examination.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DINESH KUMAR MAURYA, Dy. Secy.